न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः– सीमा खेतान (आर.ए.एस.)
GCMS:- 2021/93

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
39 / 2021	22.09.2021	04.06.2025

1. पर्वत पुत्र रामचरण मीना निवासी बड़वास हाल निवासी ओणमीना तहसील खण्डार।

प्रार्थी

बनाम

1. केशव पुत्र रामचरण जाति मीना निवासी बड़वास हाल निवासी ओणमीना तहसील खण्डार।
2. सुग्रीव पुत्र रामचरण जाति मीना निवासी ओणमीना तहसील खण्डार।
3. सुमेर पुत्र रामचरण जाति मीना निवासी ओणमीना तहसील खण्डार।
4. सुल्तान पुत्र रामचरण जाति मीना निवासी ओणमीना तहसील खण्डार।
5. रामचरण पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासी बड़वास हाल निवासी ओणमीना तहसील खण्डार।
6. कैलाशी पत्नि रामचरण जाति मीना निवासी ओणमीना तहसील खण्डार।
7. तहसीलदार एव भू अभिलेख अधिकारी तहसील खण्डार।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

श्री रविशंकर गर्ग अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

श्री अंजनी कुमार तेहरिया, धर्मेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेंश किया कि

- प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 लगायत 6 की ग्राम बड़वास तथा ओण मीना में संयुक्त काश्तकारी की आराजीयात स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 कतई सगे भाई है तथा अप्रार्थी संख्या 5 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का पेता व अप्रार्थी संख्या 6 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की माता है तथा अप्रार्थी संख्या 7 भू अभिलेख अधिकारी लैण्ड होल्डर सरकार की ओर से होने से फोरमल पक्षकार है।

- प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की पैतृक आराजीयात खसरा नम्बर 8/26 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 137 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 315 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 448 रकबा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 619 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 635 रकबा 17 बीघा कुल 6 कुल रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा वाकें ग्राम बडवास में स्थित है। जिसमें प्रार्थी के पिता रामचरण मीना अप्रार्थी संख्या 5 का हिस्सा 1/2 है 13 बीघा 7.05 बिस्वा हिस्सेदारी की आराजीयात प्रार्थी के बाबा स्व श्री रामनाथ मीना से प्रार्थी के पिता को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी को भी हिन्दू रीति रिवाजोनुसार जन्म से ही हक एवं अधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स0 मा0)

- प्रार्थी के बाबा स्व० श्री रामनाथ मीना ने अपने जीवन काल में ही आराजीयात खसरा नं0 582/210 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा बाके ग्राम ओणमीना की रूगा । मीना निवासी ओणमीना से खरीदी जिसको प्रार्थी की माता अप्रार्थी सं0 3 कैलाशी देवी के नाम से विक्रय पत्र करवाया । तथा आराजीयात खसरा नं0 723/210 रकबा 4 बीघा बाके ग्राम ओणमीना की रूग्गा मीना निवासी ओणमीना से खरीदी जिसको प्रार्थी के सगे भाई सुग्रीव अप्रार्थी सं0 2 के नाम से विक्रय पत्र करवाया । उक्त आराजीयात का बाहमी बंटवारा मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से पांति आयी तब से उक्त आराजीयात को मौके पर कब्जा काश्त कई वर्ष से करते चले आ रहे हैं । उक्त आराजीयात पर हिन्दू रिति रिवाजोनुसार जन्म से ही हक एवं अधिकार प्राप्त है । परन्तु उक्त आराजीयात की मौके पर तरमीन नहीं है उक्त आराजीयात मूल खसरा नं0 210 का नक्शा ट्रेस फर्द दस्तावेज सूची संग्लग है ।

- प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं० 1 के कब्जेकाश्त की आराजीयात खसरा नं0 582/210 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 723/210 रकबा 4 बीघा बाके ग्राम ओणमीना पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा पैतृक आराजीयात खसरा नम्बर 18/26 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 137 रकबा 1 बीघा 19बिस्वा खसरा नम्बर 315 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 448 रकबा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 619 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 635 रकबा 17 बीघा कुल खसरा नम्बर 6 कुल रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा बाके ग्राम बडवारा पटवार हल्का अनियाला, तहसील – खण्डार जिला– सवाई माधोपुर, राज0 में स्थित है। जिसमें प्रार्थी के पिता श्री रामचरण मीना अप्रार्थी संख्या 5 का हिस्सा 1/2 है, को अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 काबिज काश्त करते बाहमी बंटवारे में पांती आये अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी नकल जमाबन्दी, गिरदावरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ फर्द दस्तावेज सुची संलग्न है ।जिसे प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है ।

- प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 मे उल्लेखित विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 की स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है । जिसका अपने बुजुर्गान के समय से ही भाई बंटवारा कर रखा है तथा सभी अपने अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि पर काविज होकर शांतिपूर्वक निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है । लेकिन विवादित आराजीयात का अभी तक राजस्व रिकोर्ड मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 केशव एवं अप्रार्थी सं० 3 सुमेर व अप्रार्थी सं0–4 सुल्तान का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं है । तथा प्रार्थी के हिस्सेशुदा कब्जेशुदा आराजीयात पर अप्रार्थी सं 02 एवं अप्रार्थी सं0 6 ने स्टेट बैंक शाखा खण्डार में रहन रख रखी है । प्रार्थी ने अपने हिस्सेशुदा एवं कब्जे शुदा पांती आयी आराजीयात से रहन हटाने तथा अपने नाम खातेदारी करवाने के लिये अप्रार्थी 2 5,6 से कहा तो उन्होने कहा कि हमारे मौत हो जाने के बाद तुम्हारे नाम इंतकाल खुल जावेगा ।

- प्रार्थनापत्र के मद नं0 6 में उल्लेखित बाके ग्राम ओणमीना की आराजीयात खसरा नं0 582/210 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा न० 723/210 रकबा 4 व प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं 1 केशव के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण आये दिन अप्रार्थी स० 1 केशव विवाद उत्पन्न करता रहा है तथा प्रार्थी के पांतिशुदा उक्त विवादित आराजीयात हिस्सा 1/2 में आये दिन जबरस्ती कब्जा करने पर आमादा रहता है । प्रार्थी को प्रार्थना पत्र संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार अलग अलग दिशा में हिस्सा उक्त आराजीयात का दे रहा है, जिसको हॉकने जोतने के लिये रास्ता भी

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

नहीं देता है । आये दिन शांतिभंग करके प्रार्थी को परेशान करता रहता है । इसलिये प्रार्थी उक्त आराजीयात की भूमि को अपने हिस्से एवं कब्जेकाश्त वाले भूमि खसरा नं0 582 / 210 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा खसरा नं0 723/210 रकबा 4 में से हिस्सा 1/2 बाहमी बंटवारा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है ।

- प्रार्थी ने दिनांक 07–08– 2021 को सुबह सभी अप्रर्थीगण 1 लगायत 6 से कहा कि आप आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी कि उक्त आराजीयात की भूमि के हिस्से एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नं० 582/210 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 723/210 रकबा 4 में से हिस्सा 1/2 बाहमी बंटवारा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाओ तो अप्रार्थीगण ने इंकार कर दिया और कहा कि मद नं0 5 मे वर्णित आराजीयात का तुम कोर्ट में जाकर विवादित आराजीयात का बंटवारा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने हक अधिकार की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवालो । यही कारण है कि दावा पेश करना लाजिमी आया है

- प्रार्थी उक्त विवादित आराजीयात भूमि पर भाई बंटवारा के अनुसार प्रर्थी अनके हिस्से में आया कब्जेकशत की भूमि खसरा नम्बर 582/210 रकबा 01–17 बीघा, खसरा नम्बर 723/210 रकबा 4 वाकें ग्राम ओणमीना में से हिस्सा 1/2 बाहमी बंटवारा अनुसार अपने बुजुर्गान समय करीब पच्चीस –तीस साल से भाई बंटवारों के अनुसार काबिज होकर काश्त चला आ रहा है इसलिये प्रार्थी को अधिकार है कि प्रार्थी अपने हिस्से में आयी उक्त आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करवाने का हक अधिकारी है। तथा प्रार्थी को यह भी अधिकार है कि प्रार्थी के हिस्से में आयी उक्त आराजीयात पर अवैध कब्जा करने वाले एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा एवं दखलअन्दाजी करने वाले अप्रार्थीगण को श्रीमान् न्यायालय से पावन्द अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें । प्रार्थी कतई गरीब आसामी है अप्रार्थीगण ने पैतृक आराजीयात का बाहमी बँटवारा तो कर लिया । परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आराजीयात विवादित अप्रार्थी सं0 2 व अप्रार्थी सं0 6 का नाम दर्ज है और उन्होंने प्रार्थी के हिस्से 1/2 को नाम करवाने से इकार कर दिया है। इस कारण से अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश करना लाजिमी आया है।

- यह के मूल वादपत्र के निस्तारण मे काफी समय लगने की पूर्ण है यदि ता फैसला दावा अप्रार्थीगण को पावन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जावेगे जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना सम्भव नहीं है ।

- यह के प्राइमा फेसाई केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है क्योंकि अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से मे आयी कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा एवं अवैध अतिक्रमण करने पर आमादा है ।

- अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को तफैसला

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

दावा इस अमर से पाबन्द किया जाये कि अप्रार्थीगण खसरा नं0 582/210 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा खसरा नं० 723/210 रकबा 4 बांके ग्राम ओणमीना तह0 खण्डार स्थित में से हिस्सा 1/2 बाहमी बटवारा अनुसार प्रार्थी के हिस्से में पांत आयी कब्जे काश्त कृषि भूमि में शांन्ति पूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा अवरोध मजाहमत मदाखलत नहीं करें तथा अप्रर्थीगण प्रार्थी की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा एवं अवैध अतिक्रमण नहीं करें तथा किसी नोकर एजेन्ट से नहीं करावें,

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों के जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगणों द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र के समस्त मदों को अस्वीकार किया गया है, और विशेष विवरण में अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 582/210 रकबा 1–17 बीघा रेवेन्यू रिकॉर्ड में कैलाशी देवी के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 6 कैलाशी देवी काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 6 की स्वअर्जित सम्पत्ति है। आराजी खसरा नम्बर 723/210 रकबा 4 बीघा वांके ग्राम ओण में स्थित भूमि का खातेदार सुग्रीव अप्रार्थी संख्या 2 है। जो उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त अप्रार्थी संख्या 2 की स्वअर्जित सम्पत्ति है। इससे प्रार्थी का कोई वास्ता व सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को आये दिन हैरान व पेरशान किया जा रहा है। उक्त आराजी को जबरन लठ्ठ के जोर से हड़पने पर आमदा है। खाता संख्या नया 189 पुराना 187 की सम्पूर्ण आराजीयात रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 5 व रमेश, सुरेश, रामभरत की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी से प्रार्थी का कोई वास्ता व सम्बन्ध नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 18/26 रकबा 2–7 बीघा, खसरा नम्बर 137 रकबा 1–19 बीघा, खसरा नम्बर 315 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 448 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 619 रकबा 4–17 बीघा, खसरा नम्बर 635 रकबा 17 बीघा बांके ग्राम बड़वास में स्थित भूमि रामचरण हिस्सा 1/2 तथा मृतक रामधन हिस्सा 1/2 उक्त आराजी में दोनो भाइयों का 1/2– 1/2 हिस्सा है। हम दोनो भाई का अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थें। भाई रामधन की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी वर्तमान में रमेश सुरेश, रामभरत के नाम खातेदारी में 1/2 हिस्सा दर्ज है। हम दोनो भाईयों का आज तक विविधत बंटवारा तकासमा नहीं हुआ इसलिए उक्त प्रकरण में मृतक रामधन के वरिसान को भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। जो प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

4. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया, प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 582/210 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 723/210 रकबा 4 बीघा वाकें ग्राम ओणमीना में स्थित भूमि में से 1/2 भाग बाहमी बंटवारा अनुसार अपने बुजुर्गान समय करीब पच्चीस–तीस साल से भाई बंटवारे के अनुसार काबिज होकर काश्त करना बताया गया है, जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 723/210 रकबा 04 बीघा एवं अप्रार्थी संख्या 06 द्वारा खसरा नम्बर 582/210 रकबा 1–17 बीघा भूमि स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त बताया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कब्जे काश्त के सम्बन्ध में ऐसा कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये जिससे प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर कभी कब्जा रहा हूं तथ प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(सीमा खेतान)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)